[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 51/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. (अ). जहॉ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे प्राधिकारी से संदर्भित किया गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित **"**डक्टाइल आयरन पाइप्स**"**, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7303 00 30 या 7303 00 90 के अंतर्गत आते हैं के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी, दिनांक 04 सितम्बर, 2013, जिसे दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहॉ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस विषयगत माल पर दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 से प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहॉ कि मैसर्स इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, मैसर्स श्रीकलाहस्ती पाइप्स लिमिटेड **(**एसपीएल**)** और मैसर्स जिदंल सॉ लिमिटेड (एतश्मिन पश्चात जिसे आवेदक से संदर्भित किया गया है) ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने और इसको जारी रखने के लिए उक्त प्राधिकारी के यहां आवेदन दिया है;

और जहॉ कि उक्त प्राधिकारी ने उक्त आवेदन पर विधिवत विचार किया है और आदेश फाइल संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 17 मई, 2018 को जारी करके यह कहा है कि :

क) आवेदक ने इतना पर्याप्त और संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसके आधार पर सनसैट रिव्यू जांच शुरू की जा सके; और

ख) अत: सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित **"**डक्टाइल आयरन पाइप्स**"** के आयात के बारे में सनसैट रिव्यू जांच किए जाने के लिए यह मामला उपयुक्त नहीं है ।

और जहॉ कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड (एतश्मिन पश्चात जिसे याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष सिविल एप्लीकेशन संख्या 12368/2018 दायर किया था और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के आदेश में कहा है कि:

"12. तद्नुसार डीजीएडी का दिनांक 17.05.2018 का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है क्योंकि यह युक्तिसंगत नहीं है । इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 06 महीने के भीतर तथा कानून के अनुसार प्रतिवादी प्राधिकारी नए सिरे से सनसैट रिव्यू शुरू किए जाने के लिए आवेदन पर विचार करेगा । जब तक की ऐसा निर्णय नहीं ले लिया जाता है प्रतिपाटन शुल्क, जो कि 09.10.2018 को और उसके बाद से समाप्त हो रहा है, को आगे जारी माना जाएगा । तद्नुसार याचिका स्वीकार की जाती है । नियम निरपेक्ष बनाया जाता है । सीधे वितरण की अनुमति है ।"

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, **1995** के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना **0**9 अप्रैल, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो ।"

(फाइल संख्या 354/3/2007-टीआरयू (पार्ट. ।))

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट - प्रधान अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 को सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।